

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2022/972

दिनांक:- 24.8.2022

आदेश संख्या 618/2022-23

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	लिंग नम्बर	प्रथम नियुक्ति का मेरिट/बैच	क0 लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	3426	289/1992	मेवाराम बुगालिया	30.01.1963	31.01.2023	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में प्रकरण लंबित है।
2	3482	544/1992	जगदीश प्रसाद	15.01.1963	31.01.2023	-----
3	3409	194/1992	मोहम्मद उमर खॉ	02.05.1963	31.05.2023	अपराधिक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। (निलंबित)
4	1838	571/1988	राजेश कुमार शर्मा	05.08.1963	31.08.2023	-----
5	3559	755/1986	विष्णु कुमार गुप्ता	24.09.1963	30.09.2023	-----
6	5375	120/1988	सुरेश कुमार ठठेरा	14.10.1963	31.10.2023	16 सीसीए के तहत जांच कार्यवाही लंबित है।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकप.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में क्र.सं. 01, 03 एवं 06 को छोड़कर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकार के दिवस अन्त तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई भी विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकारों में से, राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2022/972

दिनांक:- 24.8.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
- डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)